



## 21645 - असहाय व्यक्ति और मासिक धर्म वाली महिला के लिए विदाई तवाफ का हुक्म

---

### प्रश्न

क्या मासिक धर्म और प्रसव वाली महिला तथा असहाय और बीमार मनुष्य के लिए विदाई तवाफ करना अनिवार्य है ?

### विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

मासिक धर्म और प्रसव वाली महिलाओं पर विदाई तवाफ अनिवार्य नहीं है, रही बात असहाय व्यक्ति की तो उसे उठाकर तवाफ कराया जायेगा और यही नियम बीमार व्यक्ति का भी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : “तुम में से कोई व्यक्ति खाना न हो यहाँ तक कि उसका अंतिम काम काबा का तवाफ हो।” तथा इसलिए कि सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से प्रमाणित है कि उन्होंने ने कहा : लोगों को आदेश दिया गया है कि उनका अंतिम काम काबा का तवाफ हो, परंतु मासिक धर्म वाली औरत को इसमें छूट दी गई है। तथा एक दूसरी हदीस में आया है जो इस बात को दर्शाता है कि प्रसव वाली औरतें मासिक धर्म वाली औरतों के समान हैं, उनके ऊपर विदाई तवाफ अनिवार्य नहीं है।